FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

कनवारी वगै. बनाम भगवाना वगै.

...मा दावा मुकदमा नं. 14/2020 सन् 2018

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
वकील वादीगण श्री मालीराम सैनी ने हाजिर अदालत होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 30-08-2018 को पेश हो।	[illegible]
30/8/18 पत्रावली पेश हुई। कार्यालय उप./ ... अधिकारी अनुपस्थित/ ... में व्यस्त। दौरे पर/ ... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 7/2/20 को पेश हो।	श्री. कनवारी
पत्रावली पेश हुई। कार्यालय उप./ ... अधिकारी अनुपस्थित/ ... में व्यस्त। दौरे पर/ ... पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 10/2/20 को पेश हो।	
10/2/20 वकील वादी हाजिर। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि दिनांक 14/8/18 को मिलान तामील प्रा० पत्र के साथ प्रार्थना पत्र बाबत हस्तगत वाद को विड्रा करने हेतु वादीगण की ओर से पेश शुदा है	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली व फाइली पर उपलब्ध दस्तावेज व विड्रा प्रार्थना का अवलोकन किया गया। वादीगण ने दिनांक 14/8/18 को ही प्रार्थना बाबत हस्तगत वाद पत्र को विड्रा किया जाने हेतु पेश कर दिया था। अतः वकील वादीगण के निवेदन पर हस्तगत वाद पत्र खारिज वापस पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसला सुनाया होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रणजीत सिंह) RAS